कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर।

देहरादून रोड़ ट्रांसपोर्ट नगर सहारनपुर

दिनांक: 15.06.2020

पत्रांक 485 अधि0/सा0प्रशा0 /2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा(2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1988 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकरी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनिमय संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहारनपुर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है।

आई0आर0सी कोड़ के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क से स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जाये।

उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

(अ) अग्नि शमन वाहन,

(ब) एम्बुलेंस,

(स) पुलिस वाहन,

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन,

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंध के लिए प्रयुक्त वाहन।

उपरोक्त तालिका के कालम–3 में उल्लखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगर निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 188

(1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 समय समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से

(ए.के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
जनपद– सहारनपुर

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2–अपर पुलिस महानिदेशक, (यातायात) यातायात निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

3–जिलाधिकारी, सहारनपुर

4–पुलिस अधीक्षक सहारनपुर

5–निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस ऐश्बाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6–अपर परिवहन आयुक्त, (स0सु0) उ0प्र0 लखनऊ।

7–उप परिवहन आयुक्त, मेरठ (परिक्षेत्र) मेरठ।

8–सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशा0/प्रर्व0) सहारनपुर।

9–अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त विभिन्न मार्गो पर, उपरोक्त विभिन्न गति के रोड़ लगाने का कष्ट करें।

10–राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गो पर उपरोक्तानुसार गति निवंधन सम्बन्धी बोर्ड लगाने का कष्ट करें।

11–जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचना को जनपद के प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

12–सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान तथा अन्य दैनिक समाचार पत्र, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि अपने आगामी अंक में उपरोक्त अधिसूचना को निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

13–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ जिला पंचायत/नगर पंचायत को इस आशय से प्रेषित है कि क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गो पर उपरोक्तानुसार गति निवंधन सम्बन्धी बोर्ड लगाने का कष्ट करें।

(ए.के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
जनपद– सहारनपुर

जनपद– सहारनपुर

क्र0सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्रीव्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्री वाहन	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्री वाहन	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	सहारनपुर–चिलकाना अ.जी.मा.	सहारनपुर–चिलकाना	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	सहारनपुर–शाकुम्भरी देवी बाया कालूवाला अ.जी.मा.	सहारनपुर–शाकुम्भरी देवी बाया कालूवाला	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	सहारनपुर–जड़ौदापाण्डा अ.जी.मा.	सहारनपुर–जड़ौदापाण्डा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	तीतरो–ननौता–अकबरपुर– अ.जी.मा.	तीतरो–ननौता–अकबरपुर–शाकुम्भरी देवी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	सुन्दरपुर–शाकुम्भरीदेवी वाया कालूवाला अ.जी.मा	सुन्दरपुर–शाकुम्भरीदेवी वाया कालूवाला	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6	बरला–देवबन्द–चन्देना–कोली–विकासनगर अ.जी.मा.	बरला–देवबन्द–चन्देना–कोली	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7	लखनौती–बसी अ.जी.मा.	लखनौती–बसी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8	सहारनपुर–विकासनगर अ.जी.मा	सहारनपुर–विकासनगर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9	देवबन्द–झटौल–मझौल अ.जी.मा	देवबन्द–झटौल–मझौल अ.जी.मा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10	अम्बहेटा–ढाईकी–शीतलपुर–संतौर अ.जी.मा	अम्बहेटा–ढाईकी–शीतलपुर–संतौर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11	सतसरा–बहलोलपुर–खानपुर–तीतरो अ.जी.मा	सतसरा–बहलोलपुर–खानपुर–तीतरो	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12	पढेल–नानौली–गन्देवड अ.जी.मा	पढेल–नानौली–लतीफपुर–साढौली	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

13	फनदपुरी–रजवाडे की पटरी– अ.जी.मा	फनदपुरी–रजवाडे की पटरी–इस्लामनगर–तीतरों–हगांवली	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14	उसन्ड–बुढढाखेड़ा अ.जी.मा	उसन्ड–हरिपुर–डिढौलीखेड़ा–बुढढाखेड़ा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
15	अपलाना–नकुड़ अ.जी.मा	अपलाना–मन्धौर–टावर–नसरूल्लागढ़–नकुड़	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
16	पीरमाजरा–मेंहदी–धनवा अ.जी.मा	पीरमाजरा–मेंहदी–धनवा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
17	नकुड़–सरसॉवा–मानपुर अ.जी.मा	नकुड़–सरसॉवा–खेकड़ी–खेड़ा अफगान–मानपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
18	कलसिया–बहलोलपुर अ.जी.मा	कलसिया–कोठली–बहलोलपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
19	माजरी–नौगजापीर अ.जी.मा	माजरी–नवादा–नौगजापीर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
20	सुनदरपुर–मिर्जापुर अ.जी.मा	सुनदरपुर–नौरंगपुर–जसमौर–मिर्जापुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
21	गंदेवड़–मलकपुर–रायपुर–छज्जा अ.जी.मा	गंदेवड़–मलकपुर–रायपुर–छज्जा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
22	नौसेरा–बादशाही बाग अ.जी.मा	नौसेरा–सिकन्दरपुर–फैजाबाद–बादशाही बाग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

(ए.के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, सहारनपुर